न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 72 / 2018

RCMS No. 2018/00404

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत बेड़ल 2. श्रवणसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बिरोलिया तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–31/12/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बेड़ल द्वारा मिसल संख्या 06, संकल्प संख्या 08 दिनांक 21.12.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 02.01.2008 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया गया है। उक्त नियम के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान है, जबकि मौके पर मकान के अलावा भू–खण्ड भी अवस्थित है। इस कारण प्रकरण नियम 157 (1) के तहत कवर ही नहीं होता था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बेड़ल द्वारा मिसल संख्या 06, संकल्प संख्या 08 दिनांक 21.12.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 02.01.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बेड़ल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी

अ० जिला कलक्टर, पाली

मकान का पट्टा बनाने का निवेदन करने पर मिसल कायम की गई। जिस आवेदन के आधार पर मिसल कायम की गई है, उस पर अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके पश्चात सचिव को मौका नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा मौका संलग्न किया गया, उस पर न तो सचिव के हस्ताक्षर है तथा न ही वांछित भूमि के पडौस आदि अंकित है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा भी आवेदन पत्र में वांछित भूमि के पडौस अंकित नहीं किए। मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया, जिसकी पालना में मात्र दो पंचों द्वारा ही मौका निरीक्षण किया गया, किन्तु जब भूमि के पडौस ही अंकित नहीं है, तो पंचों द्वारा किस भूमि का निरीक्षण किया गया, वह संदेहास्पद है। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसमें भी पडौस अंकित नहीं है एवं जिन गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए, उन्होने भी भूमि के पडौस आदि जाहिर नहीं किए है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बेड़ल द्वारा मिसल संख्या 06, संकल्प संख्या 08 दिनांक 21.12.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 02.01.2008 को खारिज़ किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली